

भाग 4 (क)

राजस्थान राज-पत्र, मार्च 27, 2011

53(35)

LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT
(Group-II)

NOTIFICATION

Jaipur, March 27, 2011

No. F. 2(13) Vidhi/2/2011.-In pursuance of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of the Raffles Vishwavidhyalaya, Neemrana (Alwar) Adhiniyam, (2011 Ka Adhyadesh Sankhyank 3):-

(Authorised English Translation)

THE RAFFLES UNIVERSITY, NEEMRANA (ALWAR)
ACT, 2011

(Act No. 3 of 2011)

[Received the assent of the Governor on the 25th day of March, 2011]

An

Act

to provide for establishment and incorporation of the Raffles University, Neemrana (Alwar) in the State of Rajasthan and matters connected therewith and incidental thereto.

Whereas, with a view to keep pace with the rapid development in all spheres of knowledge in the world and the country, it is essential to create world level modern research and study facilities in the State to provide state of the art educational facilities to the youth at their door steps so that they can make out of them human resources compatible to liberalized economic and social order of the world;

And whereas, rapid advancement in knowledge and changing requirements of human resources makes it essential that a resourceful and quick and responsive system of educational research and development be created which can work with entrepreneurial zeal under an essential regulatory set up and such a system can be created by allowing the private institutions engaged

N

SCHEDULE - II

Disciplines in which university shall undertake study and research.

1. Engineering and Technology
2. Architecture and Planning
3. Computer Science and Application
4. Basic and Applied Sciences
5. Management
6. Business and Economics
7. Humanities and Social Sciences
8. International Trade and Commerce
9. Fine Arts and Performing Arts
10. Design
11. Law
12. Education
13. Library Sciences and Informatics
14. Journalism, Mass Communication and Media
15. Pharmaceutical Sciences and Nursing
16. Environment
17. Earth Sciences
18. Life Sciences
19. Space Science
20. Food and Nutrition Science
21. Hospitality

सत्य देव टाक.

Principal Secretary to the Government.



राजस्थान सरकार

शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग

क्रमांक: प. 3 (34) शिक्षा-4/2005पार्ट

जयपुर, दिनांक: 08-08-2018

कुलसचिव,
रेफल्स विश्वविद्यालय,
नीमराना (अलवर)

विषय:- विश्वविद्यालय में नवीन बी.एससी कृषि (आनर्स) पाठ्यक्रम संचालित करने की अनुमति बाबत।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक 719 दिनांक 09.03.17 एवं 1838 दिनांक 05.06.2018

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत आपके संदर्भित पत्रों द्वारा प्राप्त प्रस्ताव व विभाग के आदेश दिनांक 06.06.2017 द्वारा गठित समिति द्वारा प्रस्ताव के परीक्षणोपरान्त की गई अनुशंसा एवं आईसीएआर नई दिल्ली के पत्र दिनांक 18.07.2018 तथा कृषि (ग्रुप-3) विभाग की अ.शा टीप दिनांक 07.08.2018 में व्यक्त अभिमत के आधार पर रेफल्स विश्वविद्यालय, नीमराना अलवर को आईसीएआर की कृषि पाठ्यक्रम सम्बन्धी गाईड लाइन के बिन्दु संख्या 9वीं व कृषि पाठ्यक्रम हेतु जारी विभागीय दिशा-निर्देश दिनांक 18.01.18 के बिन्दु संख्या 5 में वर्णित भूमि की दूरी सम्बन्धी प्रावधान में शिथिलता प्रदान करते हुए रेफल्स विश्वविद्यालय, नीमराना (अलवर) अधिनियम, 2011 की धारा 4 के अन्तर्गत सत्र 2018-19 से बी.एससी कृषि (आनर्स) पाठ्यक्रम संचालित करने की सहमति निम्नांकित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

1. कृषि पाठ्यक्रम के संचालन हेतु आईसीएआर नई दिल्ली द्वारा निर्धारित मापदण्डों एवं समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों, नियमों आदि की पूर्ण पालना सुनिश्चित करनी होगी।
2. विश्वविद्यालय को कृषि पाठ्यक्रम हेतु विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देश दिनांक 18.01.2018 की सभी शर्तों (बिन्दु संख्या 5 में प्रदत्त शिथिलता को छोड़ते हुए) की पालना सुनिश्चित करनी होगी एवं पालना सुनिश्चित करने के उपरान्त छात्रों को जेट परीक्षा की नोडल एजेन्सी के माध्यम से छात्र आवंटित करा कर प्रवेश देने होंगे।
3. पाठ्यक्रमों की परीक्षा पद्धति आईसीएआर के दिशा-निर्देशानुसार होनी चाहिए।
4. विश्वविद्यालय अपने द्वारा प्रस्तुत अण्डर टेकिंग की पालना में छात्रों को निःशुल्क परिवहन सुविधा उपलब्ध करायेगा।

भवदीय,



(डॉ. राजेन्द्र जोशी)

संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा